

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	<p>28-5-25</p> <p>समस्त/सं</p> <p><i>(Signature)</i> महेश माली हस्ताक्षर</p>	<p>पत्रावली में प्रेषित प्रार्थना पत्रों/वादी द्वारा प्रेषित पत्र वाकत पत्रावली तलब परमानी के क्रम में प्रेषित पत्रावली मात्र की वही में ली गयी प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद निम्न प्रार्थना पत्र के आधार पर शारीर किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA की निम्न प्रार्थना पत्र के आधार पर शारीर किया जाता है। पत्रावली में प्रेषित 28 मार 2025 नंबर से कम होकर दायित्व दल्लर हो।</p> <p><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, खयपुर</p>